राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 206/2014/बाड़मेर.

मैसर्स माँ अम्बे एन्टरप्राईजेज, स्टेशन रोड़, बाड़मेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या उपाजो/एई/2013–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 68 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 06.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का सर्वेक्षण दिनांक 23.07.2011 को किये जाने पर वेट अधिनियम की धारा 22, 25 व 61 के तहत अभियोग बनाया गया एवं कर निर्धारण आदेश पारित कर वैट रूपये 2,51,613/– एवं धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 4,11,476/– आरोपित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 04.08.2011 के पश्चात् दिनांक 19.08.2011 को प्रकरण में आरोपित शास्ति को वेट अधिनियम की धारा 68 के तहत प्रशमन किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र वैट–60 में प्रार्थना–पत्र प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 26.06.2012 को अस्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 25.10.2013 से प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान कर वेट अधिनियम की धारा 68 के तहत विधिसम्मत आदेश पारित करें। माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेश की पालना में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पुनः सुनवाई कर प्रशमन आवेदन को अस्वीकार किया गया जिसमें यह आधार लिया गया कि कोई भी व्यवहारी प्रशमन हेतु आवेदन केवल प्रस्तावित नोटिस के सन्दर्भ में ही लगा सकता है एवं शास्ति आरोपण के आदेश के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं होने से प्रशमन के तहत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस आधार पर अस्वीकार किये गये आवेदन से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्ण विवेचन के साथ प्रशासनिक अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 68 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र पर सुनवाई का अवसर देते हुए समुचित आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पूर्ण सुनवाई के बाद जो आदेश पारित किया गया है उसमें प्रशमन आवेदन को अस्वीकार किये जाने का एकमात्र कारण वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत विहित आवेदन को शास्ति आरोपण से पूर्व किये जाने पर ही अनुतोष योग्य माना गया है जबकि वेट अधिनियम की धारा 68(2) के अनुसार प्रशमन का आदेश किसी कर निर्धारण आदेश के होने या नहीं होने की स्थिति में भी किये जाने के प्रावधान हैं। इससे यह प्रमाणित है कि जिस आधार पर आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया है वह अविधिक है अतः प्रशमन किये जाने के आदेश करने का अनुरोध किया गया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि प्रशमन हेतु आवेदन दिये जाने का प्रावधान वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत किया गया है जिसमें किसी व्यवहारी के विरूद्ध करापवंचन के आरोप लगाये जाने के पश्चात् प्रशमन हेतु आवेदन करने का प्रावधान है एवं वेट अधिनियम की धारा 68(2) में उस आवेदन को निस्तारित करने की शक्तियां प्रशासनिक अधिकारी को दी गयी हैं जिसमें यह प्रावधान है कि प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद यदि कोई कर निर्धारण आदेश लम्बित रहता है या पारित भी कर दिया जाता है तब भी वह प्रशमन कर सकते हैं जबकि इस प्रकरण में प्रशमन हेतु आवेदन पत्र प्रकरण में कर निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है अतः वह वेट अधिनियम की धारा 68(2) के तहत श्रवण योग्य नहीं है।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 23.07.2011 को किये जाने के पश्चात् व्यवसाय स्थल से अनियमित लूज पेपर्स एवं डायरी प्राप्त हुई थी जिसमें दर्ज बिक्री के विक्रय बिल जारी नहीं किये गये थे एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभियोग स्थापित करने के पश्चात् दिये गये नोटिस जिसमें पेशी दिनांक 11.08.2011 नियत की गयी थी उसके पूर्व ही व्यवसायी ने दिनांक 04.08.2011 को एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं सम्मन में उल्लेखित आरोपों को स्वीकार करते हुए उचन्ति बिक्री पर

लगातार.....3

वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति को जमा कराने का प्रस्ताव किया तब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसी दिन दिनांक 04.08.2011 को अपीलार्थी व्यवहारी का करापवंचन के अपराध की स्वीकारोक्ति के पश्चात् और किसी जांच की आवश्यकता नहीं होने के आधार पर एवं इस बिन्दु पर माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करते हुए अपवंचित बिक्री पर कर एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गयी थी।

7. कर निर्धारण आदेश के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट नियम 2006 के नियम 74(1) के तहत प्रपत्र वैट–60 में आवेदन पत्र दिनांक 19.08.2011 को प्रस्तुत किया गया था जिससे यह प्रमाणित है कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 04.08.2011 के पश्चात् प्रशमन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस आवेदन को बिना किसी सुनवाई के अस्वीकार किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड में जो अपील प्रस्तुत की गयी थी उसमें भी माननीय कर बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि वे समुचित सनुवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें और उन्हें प्रदत्त अधिकारों का विधिसम्मत प्रयोग करें। उस क्रम में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया एवं उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2014 पारित किया गया जिसमें प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रशमन का आवेदन किसी शास्ति आरोपण की प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध ही किया जा सकता है अर्थात् शास्ति आरोपित करने के प्रस्तावित नोटिस के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी को आवेदन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह निर्णय दिया कि धारा 68(1) में प्रशमन किये जाने के लिये आवेदन देने का जो प्रावधान किया गया है वह शास्ति आरोपित किये जाने के पूर्व ही कार्य में लिया जा सकता है क्योंकि किसी प्रस्तावित नोटिस को वेट अधिनियम की धारा 82, 83 व 84 के तहत अपील करने से वंचित रखते हैं तथा यह भी अवधारित किया है कि धारा 68 के लिये विहित प्रारूप वैट–60 की भाषा भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि प्रशमन हेतु आवेदन धारा 61 अथवा अभियोजन धारा 67 हेतु प्रस्तावित नोटिस के सन्दर्भ में ही दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी निर्णय किया है कि उक्त प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने के लिये प्रस्तावित नोटिस के विरूद्ध प्रशमन करने हेतु कोई आवेदन प्रशासनिक अधिकारी को नहीं दिया गया बल्कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर करापवंचन के अपराध को स्वीकार किया गया था जिसके आधार पर दिनांक 04.08.2011 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा देय वैट एवं प्रस्तावित शास्ति आरोपित कर दी गयी थी अतः शास्ति आरोपण के

लगातार.....4

पश्चात् दिये गये आवेदन दिनांक 19.08.2011 प्रस्तुत किया जाना ग्रहणीय नहीं है क्योंकि शास्ति का आदेश पारित होने के पश्चात् धारा 68(1) में आवेदन नहीं किया जा सकता।

8. प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय पर विचार किया गया एवं धारा 68(1) एवं 68(2) तथा नियम 74 में प्रदत्त वैट–60 का अध्ययन किया गया तब यह पाया गया कि प्रशासनिक अधिकारी वेट अधिनियम की धारा 68(2) के तहत किसी करापवंचन के मामले में एवं किसी अभियोग में अभियोजन के मामले में अभियोग का प्रशमन कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 68(2) यह भी विहित करती है कि धारा 68(1) में आवेदन देने के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी प्रस्तावित कार्यवाही पर प्रशमन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश करने के बाद भी या लम्बित रहने पर भी कर सकते हैं। धारा 68(2) में विहित भाषा से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण के पूर्व या पश्चात् उन मामलों में ही प्रशमन किया जा सकता है जिनमें धारा 68(1) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो। इस सम्बन्ध में धारा 68(1) व (2) को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा :–

68. Composition of offences. –

(1) Where a person or a dealer is charged under this Act with the offence of avoidance or evasion of tax in any manner and at any time; he may make an application in the prescribed form and manner to the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, admitting his offence and making request therein for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.

(2) The Deputy Commissioner (Administration) may, whether or not an assessment order under any section of this Act has been passed, accept from the person who made the application under sub–section (1), by way of composition of the offence in lieu of penalty or prosecution a sum equal to of the amount of tax avoided or evaded.

9. धारा 68(2) के ये शब्द महत्वपूर्ण हैं कि "accept from the person who made the application under sub–section (1)," स्पष्ट है कि धारा 68(1) के तहत आवेदन करने के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी उस अभियोग का प्रशमन कर सकते हैं चाहे आवेदन प्रस्तुत करने के बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस प्रस्तावित कार्यवाही में कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया हो अर्थात् यह विधिक अनिवार्यता है कि कोई व्यक्ति या व्यवसायी जिसके विरूद्ध वेट अधिनियम के तहत किसी करापवंचन का अभियोग बनाया हुआ है और उसके लिये उस पर प्रस्तावित कार्यवाही (charge) का नोटिस जारी किया गया हो

लगातार.....5

ऐसी स्थिति में वह उस कार्यवाही से मुक्ति प्राप्त करने हेतु धारा 68(1) के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु जिन मामलों में कार्यवाही प्रस्तावित करने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ही जवाब प्रस्तुत कर उस अभियोग का निस्तारण कर दिया जाता है तो उस हालत में उसके पश्चात् अभियोग का प्रशमन किये जाने का आवेदन नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक अधिकारी का यह उल्लेख पूर्णतया विधिसम्मत है कि वैट–60 के तहत आवेदन ही मूल रूप से केवल नोटिस के सम्बन्ध में ही नियमों में विहित किया गया है। वैट–60 का मूल पाठ उद्धरित किया जाना समीचीन है :–

FORM VAT-60
[See Rule 74(1)]
Application for Composition of Offence
under Sub-section (1) of Section 68

To

The Dy. Commissioner (Adm.)
Zone _____

Sir,

I have been **served with a notice for imposition of penalty** U/s 61(1) / prosecution u/s 67. Details of the offence for which notice has been issued, are as under :-

(1) Nature of offence committed

(2) Section relating to the offence:

(a) Penalty u/s 61(1)

(b) Prosecution u/s 67

(3) Date of Survey conducted

(4) Date of detection of the case

(5) Date of **last notice received**

(6) Registration No. (TIN), if any

(7) Designation of issuing officer/**authority of notice**

In this regard, it is submitted that I admit the offence and request for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.

Place:
Date:

Signature
Name of the dealer/ person
Addres

10. उक्त प्रारूप में Notice for imposition of penalty के लिये आवेदन का स्पष्ट उल्लेख है जिसमें अभियोग बनाने एवं अन्तिम नोटिस दिनांक तक का ही हवाला दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रशमन हेतु आवेदन केवल नोटिस के पश्चात् एवं आदेश से पूर्व किया जा सकता है परन्तु आवेदन करने के बाद

लगातार.....6

प्रशासनिक अधिकारी उस पर निर्णय करने के लिये अधिकृत हैं चाहे वह अभियोग का निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर हो चुका हो। धारा 68 एवं वैट–60 के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि विधायिका द्वारा धारा 68 का प्रावधान किसी प्रस्तावित आरोप को प्रशमित करने के लिये किया गया है एवं किसी नोटिस के पश्चात् किसी मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश पारित कर दिया जाता है तो उसके पश्चात् उसके विरूद्ध अपील किये जाने के प्रावधान वेट अधिनियम की धारा 82 में किये गये हैं तथा धारा 68(1) में आवेदन की पात्रता समाप्त हो जाती है। उक्तानुसार यह विधि स्पष्ट है कि धारा 68(1) में प्रशमन हेतु **आवेदन** केवल प्रस्तावित नोटिस के बाद परन्तु किसी कर निर्धारण आदेश के पूर्व ही दिया जा सकता है; एवं (2) ऐसा आवेदन देने के पश्चात् धारा 68(2) में प्रशमन किया जा सकता है चाहे आवेदन के पश्चात् कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया हो अथवा नहीं।

11. फलतः प्रशासनिक अधिकारी का यह निर्णय विधिसम्मत है कि कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा आदेश पारित करने के बाद अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रशमन हेतु आवेदन श्रवण योग्य नहीं है।

12. परिणामतः प्रशासनिक अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

14/7/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य